आलोक कुमार राय (प्रवक्ता)
लोकबन्धु राजनारायण विधि महाविद्यालय

संवैधानिक विधि का अर्थ एवं प्रकृति

संवैधानिक विधि :-

संवैधानिक विधि की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग ऐसे नियमों के लिए किया जाता है जो सरकार के प्रमुख अंगों की संरचना, उनके पारस्परिक सम्बन्धों और प्रमुख कार्यों को विनियमित करते हैं।

विधिक अर्थ में ये नियम दो प्रकार के होते हैं:

1. कठोर विधि - अधिनियमित तथा बाध्यकारी।
2. नियम एवं प्रथाएँ या अभिमत - यह अधिनियमित नहीं होती है किन्तु सरकार से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी।

दूसरे अर्थों में इनके उल्लंघन के लिए न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है।

उदाहरणार्थ- जहाँ मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है आप न्यायालय की शरण में जाते है और आपके अधिकारों की न्यायालय रक्षा करता है।

यद्यपि एक संवैधानिक विधि का अधिवक्ता सरकार की विधिक पहलुओं से ही सरोकार रखता है फिर भी उसे संवैधानिक विधि के इतिहास और राजनीतिक संस्थाओं के संचालन के लिए उपर्युक्त प्रथाओं और अभिमतों का ज्ञान रखना आवश्यक होता है।

आलोक कुमार राय (प्रवक्ता)
लोकबन्धु राजनारायण विधि महाविद्यालय

संविधान की प्रकृति :-

संविधान के सामान्यतया दो स्वरूप होते हैं-
1. संघात्मक संविधान
2. एकात्मक संविधान

संघात्मक संविधान वह संविधान होता है। जिसमें केन्द्र और राज्यों में शक्तियाँ बंटी हुई होती हैं। केन्द्र और राज्यों की सरकारें स्वतन्त्र रूप से कार्य करती हैं। जबकि

एकात्मक संविधान में सारी शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार में निहित होती हैं

भारतीय संविधान संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाता है। केन्द्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करता है इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है।

परन्तु कुछ विधिवेत्ता भारतीय संविधान को एकात्मक स्वरूप वाला भी मानते हैं

भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक इसका निर्णय करने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि संघात्मक एवं एकात्मक संविधान के आवश्यक तत्व कौन कौन होते हैं और भारतीय संविधान में इनमें से कौन कौन से तत्व मौजूद हैं।

संघात्मक संविधान के अनिवार्य तत्व:-

1. संविधान की सर्वोच्चता,।
2. शक्तियों का विभाजन,।
3. संविधान का लिखित होना,।
4. संविधान का अपरिवर्तनीय होना, और
5. स्वतन्त्र न्यायपालिका।

Saathi

Date ___/___/______

1. संविधान की सर्वोच्चता:

संविधान सरकार के सभी अंगों- कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का स्रोत होता है। उनके स्वरूप, शक्तियों एवं संगठन से सम्बन्धित समस्त उपबन्ध संविधान में निहित होता है। संविधान के द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा को निर्धारित किया जाता है जिसके भीतर वे कार्य करते हैं।

2. शक्तियों का विभाजन:

केन्द्रीय व राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का बटवारा होता है जिससे प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम हो व स्वतन्त्ररूप से कार्य कर सकें। भारतीय संविधान में यह तत्व विधमान है इसके लिए संविधान में तीन सूचियाँ हैं -

1. संघ सूची- इसमें वर्णित विषय पर केन्द्र सरकार विधि निर्माण करता है।
2. राज्य सूची- इसमें वर्णित विषय पर राज्य सरकार विधि निर्माण करता है
3. समवर्ती सूची- इस पर केन्द्र व राज्य सरकार दोनों विधि निर्माण करते हैं व गतिरोध होने की दशा में केन्द्र द्वारा बनाई गई विधि मान्य होती है।

3. संविधान का लिखित होना:

संघात्मक संविधान लिखित होता है क्योंकि केन्द्र और राज्यों में जो सम्बन्ध एवं शक्तियों का विभाजन होता है उसमें पूर्णरूप से स्पष्टता होना आवश्यक है यह स्पष्टता लिखित संविधान द्वारा ही सम्भव है। भारतीय संविधान में ये तत्व मौजूद हैं

Saathi

Date ___/___/_____

4. संविधान का अपरिवर्तनीय होना :-

संघात्मक संविधान में चूँकि संविधान सर्वोच्च होता है इसलिए इसकी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि संशोधन की दृष्टि से संविधान अपरिवर्तनीय हो परन्तु अपरिवर्तनीय ~~या~~ अनम्यता का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि काल परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन न किया जा सके। भारतीय संविधान यह तत्व मौजूद है क्योंकि भारतीय संविधान संशोधन की दृष्टि से न तो अधिक कठोर है न अधिक लचीला।

5. स्वतन्त्र न्यायपालिका :-

संघात्मक संविधान में संविधान सर्वोच्च होता है। केन्द्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। केन्द्र और राज्य एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र की सीमा का अतिक्रमण न करें इसको रोकने के लिए ताकि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे हेतु स्वतन्त्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है।

भारतीय संविधान में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है।

इसप्रकार भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के सभी तत्व मौजूद है फिर भी बहुत से विधिवेत्ता इसे संघीय संविधान नहीं मानते।

जेनिंग्स जहाँ भारतीय संविधान को केन्द्रीयकरण को सशक्त प्रवृति वाला संविधान कहते है वही दूसरी ओर प्रो० व्हियर इसे अर्द्धसंघीय संविधान कहते है परन्तु अधिकांश विधिवेत्ता इसे संघात्मक व एकात्मक संविधान का सम्मिश्रण मानते हैं।

Saathi

Date __/__/__

एकात्मक संविधान के आवश्यक तत्व:-

1. राज्य सूची में वर्णित विषयों पर संसद की विधि बनाने की शक्ति (अनु० 249)
2. नये राज्यों के निर्माण की संसद की शक्ति- (अनु० 3)
3. आपातकालीन प्रबन्ध (अनु० 352, 356 व 360)
4. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा (अनु० 155, 156)

1. राज्य सूची में वर्णित विषयों पर संसद की विधि बनाने की शक्ति (अनु० 249)

अनु० 249 यह उपबन्धित करता है कि यदि राज्यसभा अपने सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा यह घोषित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्यसूची में वर्णित किसी विषय पर कानून बनाए तो संसद द्वारा बनाया गया कानून विधि पूर्ण होगा। इसके अलावा संविधान में समवर्ती सूची में वर्णित विषय पर केन्द्र व राज्य द्वारा बनाए गए कानून की स्थिति में केन्द्र द्वारा बनाया गया कानून अविभावी होगा।

2. नये राज्यों के निर्माण की संसद की शक्ति - (अनु० 3)

अनु० 3 संसद को निम्नलिखित शक्ति प्रदान करता है-

(क) नये राज्यों के निर्माण की शक्ति,
(ख) वर्तमान राज्य के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति, व
(ग) किसी वर्तमान राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करने की शक्ति

संविधान के इस उपबन्ध से तो ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यों का अस्तित्व केन्द्र की इच्छा पर निर्भर है।

Date ___/___/___ Saathi

3. आपातकालीन उपबन्ध :-

भारतीय संविधान राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में आपातकालीन घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है -

1. युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा को खतरा हो। (अनु० 352)
2. जब किसी राज्य का संवैधानिक तन्त्र विफल हो गया हो। (अनु० 356)
3. जब देश या इसका कोई भाग वित्तीय संकटापन्न हो. (अनु० 360)

4. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा

यह उपबन्ध भी संघीय सिद्धान्त पर प्रहार करता है क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और उन्हीं के प्रसाद-पर्यन्त अपने पद पर बने रहते हैं व राष्ट्रपति के प्रति दायी होते हैं न कि विधानमण्डल। विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ भी प्रेषित किया जा सकता है (अनु० 201, अनु. 288(2) व अनु० 304(ब)। कुछ मामलों में विवेकानुसार भी कार्य कर सकता है। (अनु० 166) ऐसा कहा जाता है कि उक्त व्यवस्था भारतीय संविधान में है जो संघीय सिद्धान्त के प्रतिकूल है व राज्यों की स्वायत्तता पर आघात पहुँचता है।

इसके अतिरिक्त **एकहरी नागरिकता और अखिल भारतीय सेवाओं के उपबन्ध** के कारण कुछ विधिवेत्ता भारतीय संविधान के स्वरूप को एकात्मक मानते हैं।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एकात्मक व संघात्मक संविधान का अनोखा मिश्रण है। सामान्यतः इसका स्वरूप संघात्मक होता है। किन्तु संकटकाल में एकता व सुरक्षा की दृष्टि से एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है।

(उदा: [illegible] बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) 3 एस.सी.सी 1 [illegible]

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA